न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई०ए०एस

प्रकरण संख्याः– **31/2017 अपील (राजस्व)**

श्री दुल्हासिंह पिता स्व. श्री चतरसिंह, निवासी शोभजी का खेड़ा, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील बनाराजगी नायब तहसीलदार मावली के आदेश दिनांक 11.02.2017 प्रकरण संख्या 792/2016 (ना.त.) जिसमें अपीलार्थी को बेदखली का आदेश पारित किया गया है

उपस्थित : श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः–27.11.17

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी मूल रूप से गॉव शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) का निवासी है परन्तु करीब 40–50 वर्ष पूर्व अपीलार्थी के गॉव में मकान की जगह न होने अपीलार्थी अपने खेत जो सालेराकला बांध के पीछे मौजा सालेराकला तहसील मावली में स्थित है पर ही रहता था। राजस्थान राज्य की ओर से जिन व्यक्तियो के पास आवासीय जमीन उपलब्ध नहीं थी उन्हें बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 1975–76 में जमीन आवंटित की गई थी जिसमें प्रार्थी को भी तत्कालीन ग्राम पंचायत नान्दवेल पंचायत समिति मावली की ओर से एक छोटा सा भुखण्ड निःशुल्क आवंटित किया गया था जिस पर अपीलार्थी ने तत्समय कच्चा छोटा मोटा

निर्माण कर उसके साथ ही मवेशियो के बांधने व चारा आदि के लिये बाड़ा मौजा शोभजी का खेड़ा आराजी संख्या 116 में रहना शुरू किया था। 1980 के आस पास के कुछ लोगो ने आपत्ति की थी तो तत्कालीन तहसीलदार मावली ने आराजी संख्या 116 में काबिज लोगो के निवास हेतु भू परिवर्तन का प्रस्ताव तत्कालीन ग्राम पंचायत नान्दवेल को भेजा था। परन्तु सरपंच के राजनैतिक द्वेष के कारण वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसी दौरान आराजी संख्या 116 में लगभग 40 परिवारो ने अपने मकान कच्चे पक्के बना दिये। अपीलार्थी ने भी इसी दौरान पक्का मकान व उसके साथ सुविधाओ का विकास किया। यह कार्य करीब 40 वर्ष से जारी है और अपीलार्थी लम्बे समय से उसी मकान में रह रहा हैं। ग्राम पंचायत नान्दवेल से ग्राम शोभजी का खेड़ा को हटाकर ग्राम पंचायत नामरी में सम्मिलित कर लिया गया था और ग्राम पंचायत में दो बार करके करीब 10 बिघा जमीन चरागाह से आबादी की किस्म में परिवर्तित की गई थी। परन्तु राजनैतिक द्वेष के कारण पुराना कब्जा होते हुए भी उसे आबादी में परिवर्तित नहीं किया गया। आज भी अपीलार्थी के अलावा 10–15 अन्य परिवारो के भी मकानात पक्के बने हुए है जो आराजी 116 में ही होकर चरागाह में स्थित हैं। 30 वर्ष से अधिक का कब्जा होने के कारण नायब तहसीलदार को बेदखल करने का अधिकार नहीं हैं। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुने बिना एक पक्षीय आदेश पारित करने में कानूनी व वाकियाती भूल की हैं। पटवारी नामरी ने इरादनतन झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कितना क्षेत्रफल और बिना नक्शा प्रस्तुत किये है रिपोर्ट द्वेषता पूर्वक प्रस्तुत की गई हैं। जिसके आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। पटवारी ने बिना मौका देखे प्रिन्टेड प्रारूप में रिपोर्ट पेश की है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ

न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने जो प्रारूप क तैयार किया है वह बिना आधार का प्रिन्टेड फार्म होने से मस्तिष्क का समावेश नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.02.17 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो संलग्न पत्रावली हैं। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जॉचे अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये। जबकि अपीलार्थी के पास में सन् 1975–76 में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा जारी पट्टा उपलब्ध हैं। उसी के आधार पर अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रहने हेतु मकान का निर्माण किया गया हैं जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा देखा ही नहीं गया। वर्तमान में इस जगह पर 10–15 अन्य परिवारो के भी मकानात पक्के बने हुए है जो आराजी संख्या 116 में ही होकर चरागाह में स्थित हैं। मात्र अपीलार्थी के विरूद्ध ही बेदखली के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी नामरी द्वारा इरादतन झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। कितना क्षेत्रफल और बिना नक्शा प्रस्तुत किये ही नाजायज कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हैं। पटवारी द्वारा प्रिन्टेड फार्म में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया हैं। इस भूमि पर अपीलार्थी ने करीब 40 लाख रूपये का निवेश कर रखा हैं। अपीलार्थी के पास इस भूमि के अलावा अन्य कही पर भी भूमि उपलब्ध नहीं हैं। जिस कारण अपीलार्थी को बेदखल किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

जबकि विधिवत दिनांक 28.10.75 का ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा जारी पट्टा उपलब्ध हैं। यदि किसी अतिक्रमी के पास में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा उपलब्ध है तो ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। यदि पट्टे की वैधानिकता के बारे में कोई संदेह है तो उस पट्टे की जॉच विधि तथा नियमो के प्रावधानो के अनुसार की जा सकती हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें। अपने कथनो की ताईद में आर आर डी अक्टुबर 2002 पेज 83, आर आर डी मई 2006 पेज 278, आर आर डी सितम्बर 2003 पेज 441 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वार मौजा शोभजी का खेड़ा के आराजी संख्या 116 चरागाह भूमि में डेढ़ बिघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मकान व बाड़ा बना दिया है जबकि चरागाह की भूमि का उपयोग ग्राम की मवेशियो के चारागाह के प्रयोजनार्थ ही प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अन्यत्र किसी कार्य के लिये चरागाह भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अद्योपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा चरागाह की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बगीचा बाड़ा इत्यादि का निर्माण किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा चरागाह की भूमि में डेढ़ बिघा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का कब्जा नियमन नहीं किया जा सकता हैं।

प्रस्तुत पट्टे में भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी आराजी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है एवं ग्राम पंचायत चरागाह की भूमि में पट्टे देने की अधिकारीता नहीं रखती हैं। चुंकी अपीलार्थी द्वारा चरागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई कानुनी त्रुटी नहीं की हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर